

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

प्रगति प्रतिवेदन

2015-16



राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

प्रवृत्तियां

एवं

प्रगति

2014–2015

एवं

2015–16

(दिसम्बर, 2015 तक)



प्रवृत्तियां एवं प्रगति 2015-16

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अप्रैल, 1955 में किया गया। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिसमें कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

बोर्ड द्वारा कर्तव्यों के पालन एवं मंत्रणा देने के लिये निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया जाता है:-

1. कार्यकारिणी समिति
2. स्थाई अर्थ समिति
3. चयन सेवा समिति


तदर्थ समितियों के गठन का भी प्रावधान है। आवश्यकतानुसार समय समय पर ऐसी समितियां विभिन्न कार्यों के लिये गठित की जाती हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था :

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 8 (क) एवं 9 के अन्तर्गत सचिव तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:-

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा



संचालक मण्डल
बोर्ड के कुल सदस्य-12
(1) पदेन सदस्य-4
(2) गैर सरकारी सदस्य-8

बोर्ड के व्यवसायिक केन्द्र (4)
1. 'ग्राम्या' हैण्डलूमवट एम्प्लियन्स, पांच बत्ती, जयपुर
2. 'संकुल' मानसरोवर, जयपुर
3. ऊन अनुभाग, बाड़मेर
4. ऊनी उत्पादित केन्द्र, बीकानेर

प्रशिक्षण केन्द्र
1. प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर (अजमेर)
2. प्रशिक्षण केन्द्र, संगानेर
('संकुल' मानसरोवर, जयपुर)
3. प्रशिक्षण केन्द्र, माउण्ट आबू (शिरडी)

बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य :

1. खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना।
2. कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विति करना।
3. निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4. कारीगरों को प्रशिक्षण देना।
5. कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना।
6. कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना, आदि।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	—
2	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	—
3	संयुक्त निदेशक	1	—	1
4	उप निदेशक(खादी/ग्रामो.)	4	3	1
5	उप निदेशक(विपणन)	1	—	1
6	सहायक सचिव(प्रशासन)	1	1	—
7	सहायक निदेशक(चर्म)	1	1	—
8	लेखाधिकारी	2	1	1
9	निजी सहायक अध्यक्ष महो.	1	—	1
10	सहायक निदेशक(सांख्यिकी)	1	—	1
11	सहायक लेखाधिकारी	3	—	3
12	सहायक निदेशक(खादी)	3	1	2
13	जिला उद्योग अधिकारी	6	2	4
14	कार्यालय अधीक्षक	1	—	1
15	निरीक्षक सहकार	8	2	6
16	लेखाकार	13	4	9
17	विधि सहायक	1	—	1
18	सांख्यिकी सहायक	3	3	—
19	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1
20	निरीक्षक सह अंकेक्षक	10	9	1
21	कार्यालय सहायक	4	1	3
22	शीघ्र लिपिक	5	5	—
23	संगठक	2	1	1
24	जिला उद्योग निरीक्षक	12	7	5

25	पर्यवेक्षक प्रथम	134	93	41
26	वरिष्ठ लिपिक	24	18	6
27	कनिष्ठ लिपिक	38	33	5
28	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	—
29	वाहन चालक	6	6	—
30	मैकेनिक प्रथम	2	2	—
31	जमादार	4	1	3
32	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	44	40	4
	योग	348	246	102

खादी कार्यक्रम :

राज्य में प्रमुख रूप से ऊनी एवं सूती खादी उत्पादन होता है। राजस्थान में ऊनी खादी के उत्पादन का विशाल क्षेत्र है। यहां पर देश के कुल उत्पादन की लगभग 45 प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है। वर्ष 2014-2015 के अन्त तक खादी क्षेत्र में राज्य में 223 संस्था/समितियों को अनुदानित किया गया है। वर्तमान में कार्यरत खादी संस्था/समितियों की संख्या 144 है।

खादी क्षेत्र में रोजगार के विषय को दृष्टिगत रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में "फैशन फॉर डवलपमेंट" ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य (1) वर्ष पर्यन्त 250-300 दिवसों तक कत्तिन/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना, (2) कत्तिन/बुनकरों की दैनिक मजदूरी को करीब दो गुनी से चार गुनी तक बढ़ाना, (3) गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन, (4) कत्तिन/बुनकरों के कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार करना है।

उक्त योजना में खादी के कलस्टर स्थापित किये जाकर प्रतिवर्ष 2500 कत्तिनों/बुनकरों/कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नवसृजित रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक 13 खादी कलस्टर स्थापित किये जा चुके हैं।

उक्त योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इस योजना में कार्यशील पूंजी का प्रावधान नहीं होने के कारण योजना के उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस योजना को परिवर्तित कर लघु खादी परियोजना शुरू की गयी। इस योजना में कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया हुआ है। इसके अन्तर्गत एकल संस्था को लाभान्वित किया जाता है। प्रत्येक संस्था को रु. 35.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराये जाने का योजना में प्रावधान है। वर्ष 2013-14 में इस योजना में 5 संस्था/समितियों को लाभान्वित करते हुए प्रत्येक संस्था को राशि रु. 26.32 लाख अनुदान एवं राशि रु. 8.68 लाख कार्यकारी पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है तथा वर्ष

2014-15 में योजना में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक संस्था को पूंजीगत व्यय हेतु राशि रु. 15.00 लाख का अनुदान एवं राशि रु. 10.00 लाख कार्यकारी ऋण उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निम्न योजना खादी क्षेत्र के लिए क्रियान्वित की जा रही है :-

1. लघु खादी परियोजना

वर्ष 2015-16 में 4 खादी संस्थाओं को पूर्व वर्ष की भाँति ही लाभान्वित किया जाने का प्रावधान रखा हुआ है। इसमें प्रति संस्था को राशि रु. 15.00 लाख बतौर अनुदान एवं राशि रु. 10.00 लाख कार्यकारी पूंजी के रूप में बतौर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रति संस्था राशि रु. 25.00 लाख एवं कुल बजट प्रावधान 100.00 लाख है। गुणवत्तायुक्त खादी का उत्पादन, कत्तिन बुनकरो के परिश्रमिक में वृद्धि, कत्तिन बुनकरो को सुविधायुक्त कार्य स्थल व उचित वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। राशि रु. 50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृतिया जारी करते हुए 2 संस्थाओं को राशि रु. 30.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

आर्थिक सहायता:-

खादी संस्था/समितियों को विभिन्न योजनाओं में गत 3 वर्षों में बोर्ड द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	लाभान्वित संस्था /समितियों की संख्या	वितरित राशि (लाख रु. में)			
		ऋण	अनुदान	योग	
2013-2014 खादी एक नई पहल					
1.	लघु खादी परियोजना	5	43.40	131.60	175.00
2.	खादी विकास फण्ड	32	250.00	—	250.00
3.	कताई बुनाई शैड योजना	36	—	180.00	180.00
	योग		293.40	311.60	605.00
2014-2015 खादी एक नई पहल					
1.	लघु खादी परियोजना	7	60.00	103.87	163.87
2.	खादी विकास फण्ड	35	240.07	—	240.07
3.	कताई बुनाई शैड योजना	5	—	25.00	25.00
	योग		300.07	128.87	428.94
2015-2016 खादी एक नई पहल					
1.	लघु खादी परियोजना (दिसम्बर, 15 तक)	2	—	30.00	30.00
	योग		—	30.00	30.00

